

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

क्र. 45 नवान :- हरलाल / अमरी सिंह

प. न. 15/60/24

19/06/24

27/8/24
वकील यादी/वकालत उपोचार का कार्य
स्वयं ही कौशलपूर्ण अधिकारी अन्य
सार्वजनिक कार्य में व्यस्त होने के कारण
वकालती विभाग... को प्रेषित हो।

तकलीफों / रिपॉर्ट
इत्यादि / प्रमाण



24/9/24

आज पत्राचार के द्वारा कुछ अनुसूचित
उपो/ पत्राचार के द्वारा इनके कठिनाई
गणना सम्बन्धित पीछे पीछे कायेकारी
उपरबन्ध कायेकारी कायेकारी
निदानान्तक हो गणना हो
असिद्धि प्राप्त प्रमाण सु-न्यायिक
आगे चलाने कायेकारी इतिहास
नही होने एवं प्रमाण सु-न्यायिक
होने के कारण प्रमाण सु-न्यायिक
प्रमाण सु-न्यायिक कायेकारी
किया जाता है प्रमाण सु-न्यायिक
सु-न्यायिक होकर प्रमाण सु-न्यायिक
हो। कायेकारी प्रमाण सु-न्यायिक
कायेकारी प्रमाण सु-न्यायिक
प्रमाण सु-न्यायिक कायेकारी



जिला कलक्टर
अलवर (राज.)